इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 312]   भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 जुलाई 2015—श्रावण 8, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2015

अधि. क्र. 144-एफ-1-10-2014-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 48-ख तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 तथा 356 के साथ पठित धारा 72-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य तथा कामकाज का संचालन) नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 में,—

(एक) उपनियम (1) में, शब्द ''नियम 9 के उपनियम (2) के अधीन'' के स्थान पर, शब्द ''प्ररूप-क में'' स्थापित किए जाएं.

(दो) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''(3) मोहल्ला समिति के गठन हेतु आवेदन केवल ऐसी अवधि में प्राप्त किए जाएंगे जैसी कि विहित की जाए. यदि किसी मोहल्ला समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर मोहल्ला समिति का गठन सदस्यों द्वारा रुचि न लिए जाने के कारण विहित अवधि में नहीं हो पाता है, तो नगरपालिका अधिकारी पुन: कार्यक्रम जारी करेगा तथा मोहल्ला समिति के गठन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे. इस आशय की साधारण अधिसूचना दो स्थानीय समाचार-पत्रों में प्ररूप-ख में प्रकाशित की जाएगी तथा संबंधित मतदान केन्द्र पर मतदान केन्द्र विनिर्दिष्ट करने वाली जानकारी प्रदर्शित की जाएगी;

(4) यदि विहित अवधि के भीतर मोहल्ला समिति के प्रादेशिक क्षेत्र में एक से अधिक समूहों द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो नगरपालिका के प्राधिकारी समस्त प्राप्त आवेदनों को समाविष्ट करते हुए एक मोहल्ला समिति का गठन करेंगे;

(5) नगरपालिका अधिकारी मोहल्ला समिति के गठन हेतु आवेदनों को प्राप्त करने के लिए स्थान तथा विहित प्राधिकारी अधिसूचित करेगा तथा आवेदनों की छानबीन के पश्चात्, मोहल्ला समिति को रजिस्ट्रीकृत करेगा तथा इन नियमों से संलग्न प्ररूप-ग में मोहल्ला समिति के गठन की अधिसूचना जारी करेगा;

(6) मोहल्ला समिति का कार्यकाल परिषद् के कार्यकाल का सह विस्तारी होगा;

2. नियम 9 में,

(एक) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(2) नियम 3 के अनुसार मोहल्ला समिति का गठन हो चुका है तथा मोहल्ला समिति के संचालन के लिए प्रबंध समिति गठित कर ली गई है।"।

(दो) उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(3) नगरपालिका अधिकारी, मोहल्ला समिति को मान्यता प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन प्राप्त करने का स्थान एवं विहित प्राधिकारी नियत करेगा तथा मान्यता प्रदान कर दिए जाने की स्थिति में नगरपालिका अधिकारी अथवा विहित प्राधिकारी प्ररूप-2 में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। ऐसे आवेदन के लिए कोई प्रभार उद्‌ग्रहीत नहीं किया जाएगा।"।

३. नियम-20 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप जोडे जाएं, अर्थात्:-

"प्ररूप-क

(नियम-3 देखिए)

ति,

आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी,

नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद्

....

जिला-...

षय:- मोहल्ला समिति गठन हेतु आवेदन।

हम अधोहस्ताक्षरकर्ता मोहल्ला समिति के गठन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। ारी मोहल्ला समिति के संबंध में आवश्यक विवरण निम्नानुसार हैं :-

नगरपालिका का जोन क्रमांक...............

वार्ड क्रमांक........................

मतदान केन्द्र क्रमांक.................

(4) मतदान केन्द्र की निर्वाचक नामावली में मतदाताओं की संख्या.......................

उपरोक्त वर्णित मोहल्ला समिति गठित किए जाने का अनुरोध है।

हस्ताक्षरकर्ता.

....

टीप:- प्रमाणित किया जाता है कि सभी हस्ताक्षरकर्ता संख्या में मतदान केन्द्र के कुल मतदाताओं की संख्या के दस प्रतिशत से अधिक हैं तथा सभी उक्त मतदान केन्द्र के मतदाता हैं।

अनुक्रमांक	नाम	निर्वाचक नामावली क्रमांक	हस्ताक्षर
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

प्ररूप-ख
(नियम-3 देखिए)
साधारण सूचना

नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद् .... के क्षेत्र में उन विभिन्न प्रादेशिक क्षेत्रों में, जिनमें कि मोहल्ला समितियां गठित नहीं हैं, मोहल्ला समितियां गठित करने के लिए दिनांक.................. तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्रादेशिक क्षेत्रवार सूचना संबंधित मतदान केन्द्र पर प्रदर्शित की गई है।

सक्षम प्राधिकारी

नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद्

प्ररूप-ग

(नियम-3 देखिए)

कार्यालय, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद्

क्रमांक............. **दिनांक..........**

गठन आदेश

नियम 3 के अधीन मोहल्ला समिति का गठन किए जाने हेतु प्राप्त आवेदन न्यूनतम 10 प्रतिशत निवासियों से प्राप्त हुआ है। जो कि जोन क्रमांक................के मतदान केन्द्र क्रमांक.............................वार्ड क्रमांक.............................. मतदान केन्द्र नाम/क्रमांक...............................से संबंधित मतदान केन्द्र के मतदाता भी हैं। कार्यालय द्वारा प्रकरण की संक्षिप्त जांच की गई एवं आवेदित समिति योग्य पाए जाने से मोहल्ला समिति क्रमांक............... से रजिस्ट्रीकृत करते हुए इसका गठन किया जाता है।

2. **उक्त मोहल्ला समिति, विहित समय सीमा में मान्यता प्राप्त कर लिए जाने के** पश्चात् ही मोहल्ला समिति के रूप में कार्य करने के लिए सशक्त होगी।

3. संबंधित मतदान केन्द्र पर गठन की इस सूचना को चस्पा किया जाएगा।

आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी

नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद्

पृष्ठांकन क्रमांक............ दिनांक..........

प्रतिलिपि :-

ज़ोनल अधिकारी/वार्ड अधिकारी, ज़ोन/वार्ड क्रमांक.................नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद्,............... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आयुक्त/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी,

नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद्।"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2015

अधि. क्र. 144-एफ-10-2014-अठारह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 144-एफ-1-10-2014-अठारह-3, दिनांक 30 जुलाई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

No. F-144-F1-10-2014-18-3 Bhopal the 30th July 2015

In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 48-B of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 355 and 356 read with Section 72-B of the Madhya Pradesh Municipalities Act. 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Municipalities Mohalla Committee (Constitution, Functions and Conduct of Business) Rules, 2011, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 3,-

(i) In sub rule (1), for the words "under sub-rule (2) of rule-9", the words "in Form-A" shall be substituted.

(ii) After sub rule (2), the following sub-rules shall be added, namely :-

"(3) Application for constitution of Mohalla Committee shall only be received in the period as may be prescribed. If a Mohalla Committee is not constituted within the territorial area of any Mohalla Committee due to lack of interest of members within the prescribed period, then the Municipal Officer shall reissue the programme and applications shall be invited for the constitution of the Mohalla Committee. A general notification to this effect shall be published in the two local newspapers in Form-B and the information specifying the polling stations shall be displayed at the concerning polling stations;

(4) If applications from more than one groups in the territorial area of the Mohalla Committee are received within the prescribed period, then the municipal authorities shall constitute one Mohalla Committee comprising all the applications;

(5) Municipal Officer shall notify the place and prescribed authority for receiving applications to constitute the Mohalla Committee and after scrutiny of the applications, shall register the Mohalla Committee and issue notification of the constitution of Mohalla Committee in Form-C, appended to these rules.

(6) The tenure of the Mohalla Committee shall be the same as the Council of the Municipality.".

2. In Rule 9,-

(i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) In accordance with Rule 3 Mohalla Committee has been formed and the Managing Committee has been constituted for the operation of the Mohalla Committee.".

(ii) In Rule 9, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(3) Municipal Officer shall appoint the place and Prescribed Authority to receive applications to be submitted to grant accreditation to the Mohalla Committee. In case of accreditation is granted the Municipal Officer or Prescribed Authority shall issue a certificate in form-2. No charges shall be levied for such application.".

3. After Rule 20, the following Forms shall be added, namely:-

"Form-A
(See Rule - 3)

To,

Commissioner/Chief Municipal Officer,
Municipal Corporation / Municipal Council
....
District -..

Subject: -Application for constitution of Mohalla Committee.

We, the undersigned are submitting application for constitution of Mohalla Committee. Necessary details of our Mohalla Committee are as follows:-

(1) Municipal zone number.................
(2) Ward No..........................
(3) Polling stations No...................
(4) Number of voters in the electoral list of the polling centers.................

Above mentioned Mohalla Committee is requested to be constituted.

Signatories

....

Note: - It is certified that all the following signatories, are more in number than ten percent of total voters to the polling station and all are voters of same polling station.

S.No.	Name	Electoral roll number	Signature
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Form-B
(See Rule -3)
General Notice

In the area of Municipal Corporation / Municipal Council / Nagar Parishad ...., the applications are invited up to................. date, for constitution of Mohalla Committees of various territorial areas in which the Mohalla Committees are not constituted. Territorial areawise notice has been displayed at the respective polling station.

Competent authority
Municipal Corporation / Municipal Council/
Nagar Parishad

Form-C
(See Rule -3)

Office of the Municipal Corporation / Municipal Council / Nagar Parishad...............

No. Date...........

Order of the Constitution

The application received is presented by the minimum ten percent residents, who are also the voter of the polling station of zone No................ ward No................... polling station name/No. .... for the constitution of Mohalla Committee under Rule-3. The summary scrutiny has been done by the office and after finding it appropriate, the Mohalla Committee is constituted with a registered No. ....

2. The said Mohalla Committee shall be empowered to Act as Mohalla Committee only after getting accreditation in the prescribed time limit.

3. This notice of constitution should be published at the concern polling station.

Commissioner/Chief Municipal Officer
MunicipalCorporation/MunicipalCouncil/ NagarParishad

No. Date...........

Cc:-

Zonal Officer / ward officer, zone / ward number................. Municipal Corporation / Municipal Council / Nagar Parishad .... for information and necessary action.

Commissioner/Chief Municipal Officer
Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Parishad

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
MALAY SHRIVASTAVA, Prnicipal Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.